

## न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर

उनवान — सरकार बनाम जबरसिंह

मुकदमा न. 40/16/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

06.02.2017 अप्रार्थी द्वारा जस्तु अफेक्ट पत्रावली पेश हुई खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी जबरसिंह पुत्र रणजीतसिंह राठौड़ निवासी राजपुत मौहल्ला गैलासर तहसील मकराना जिला नागौर मैसर्स— भारती रिटेल (ईजीडे) बायोस्कोप राणीसती रोड़ सीकर उपस्थित। बहस सुनी गई एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी नम्बर एफ-962 वस्तु प्रिमियम टेबल स्प्रेड (न्यूट्रीला) का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण मिस बॉन्ड/अमानक का पाया गया है। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया परन्तु अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर बताते हुये कम से कम जुर्माना लगाने का अनुरोध किया परन्तु में निर्माता कम्पनी स्वयं पार्टी है। कम्पनी के कारोबार को मध्य नजर रखते हुये खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थी जबरसिंह के 3000/- रुपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये वरना अप्रार्थी के विरुद्ध इस अधिनियम के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो

निर्णय सुनाया गया। 